

A-5/32/16/4.3 विषय: - रा. इ. ६७ ५१ म. राही हुद्रेश का विभाग रिक किक रिर्म रिक किक रिक् The Alvara 12 13 po mante किया गर्म दिस्ति कारेता देव महरण falley AMIN BY THE ADER THAT STENIAL प्रिंग जिल्ला को स्टब्स करहा. प्रमुख स्ट्रिय प्रतिश्राल काडेका जामी बरें। प्रमुख्यम्बिव (विटिश )

## मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

क्नाक / डीर - डर्न ३१ / ६/(५-५)/आदेश//

भोपाल दिसक 🙎 ३ 👍

सिदिल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियर सख्यक - 5) आदश सत्ताईस के नियम— 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए माननीय उच्च स्थायालय में दायर प्रकरण कमांक उन्त्यू0पी0—6759/2015 मेंसर्स राठी ट्रंडर्स, प्रोठ गरेश राठी गंडी प्रचोर जिला राजगढ़ विरूद्ध गठप्रठ शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक/ उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, गोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी और से प्रभारी अधिकारी के रूप में अगिवचर्नों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य कारने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमवली में वर्णित करियमें तथा उत्तरदायिकों के अभिने वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त परचार अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके लोपे सीधे दिये गए है, निम्नलिखित कार्य करेग:--

- 1. प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और यांचिक में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिज्त जागकारी देते हुए जिन्नों की मामले के संचालन में महाधिवजता/शारकीय अभिगयक को सहायता पहुँचने की समावना है, रिकेट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर डिटि डिम्म संपर्मण किया गया था, तो उन विमाग की राय भी रिपोर्ट में पिनिर्देश स्वा से निर्देश की जाएगी
- 2. समस्त सुसमत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएं तथा आवेश एकत्रिल करेगा।
- 3. भाव पत्र / याचिका में चडाये गए समस्त बिन्दुओं का वैस अनुसार सहार देते हुए आए हुई। आरोरिक्त अनकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की समाधना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4. उपत रिपोर्ट तथा समग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से समाप्त क्रेरेगा.
- 5.शारमकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता :
- 7. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा : -
  - (फ) याद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दरतावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना ---- प्रस्तादित है, और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
  - (घ) गामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागाज पश्रों की प्रिटेवाँ इसमें वाद की सुनवाई की लारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- 8. शामले की तैयारी और संधालन करने की शासकीय आदेवामा का सहयोग करना और शामले उसे प्रक्रम और प्राप्ति के लिये किये नये कर्नाकों से रहाई का स्पेव की अवनान हरान 9 जाव भी कोई आदेश / निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के शासकी पारित क्रिया साला है तब िथि देगांग को सूचित करना तथा उनकी प्रमाणित प्रति प्राप्त वरना में लिये उस्त देग या आगामी कार्य दिवस का अवंदन करना.

10. अपनी रिपोर्ट के साथ आ**देश** / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगरी कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजभा

यह देखना है कि आवेदन करने में ताकि प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनान, राय

भारत करने और उसकी सूचना देने में रामय मण्ट नहीं हो।

12. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के गाध्यम रा तिष्यात आनकारी देगा। वह वर्सनान पद का भार सींप देने के पश्चात की तब तक क्रासी अधिकारी बना रहेगा। जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी निवृत्ता नहीं कर विया जाये

13 प्रभारी अधिकारी कामले तैयार करने में शासकीय अधिनेक्ता की हुए रागव सहयाग देगा तथा इस बःघल के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण रच्थ्य या दश्लावेज

अप्रकाशित/छुपी हुई नहीं रह जाये।

14 प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुकरंर है तो वह जेसे ही बाद का विनिष्ध्य डोता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के मध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भैजी जाए।

15. प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजन भुकरेर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी हाद में प्रकश्ण में भारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अरएव यह उस आवश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के मध्यम से अपना अनुशरा के साथ(सरकार) इशासकीय दिगाग को अनेपित कर।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुस्रार

(अवर-संचित)

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल

THIS / ST 5/32/2015/14- 5 प्रतिलिपि .-

भोषाल दिनांक 🔊 - 3 · 16

महाधिवक्ता / अति रिक्त भहाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रवेश जबलपुर ,

2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विस्ता, भोपाल

3. प्रबन्ध संचालक म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोगाल

संबंधित जिलाध्यक्ष,राजगढ़ मध्यप्रदेश।

5 संयुक्त संधालक / उनसंधालक सम्बद्धिश राज्य कृषि विव्याम बीर्ड, आवारीक कार्यालय भोपाल (गप्र) प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवयता से संपर्क करने और . उपरिंथति प्रगाण—पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपन्ये प्रत्येक गेंट (latere) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सत्माह करने और नामले से अपनी प्रसान स्टाहें हा राथ उसे उनक विभागाध्यक्ष को सलाह करने और भाभले में अपनी प्रमान रिपार्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेवित। गामले को प्रगति रिपार्ट की एक प्रति इस प्रकास क साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे। मामले की सुनदाई एक्सिस 🛒 🗷 🕻 🌾 हेत् नियत की गई है

अवर सचिव:

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्थाण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल

http://172.25.186.5/cishcbon/Demo/mene

## BY. I.L. POS

## IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Deputy Registrar,

High Court of Judicature

at Indoce

WP/6759/2015

Against Adm. and 1R. Fixed for 08-03-2016 WP-DA-1

Respondent No. 1

State of M.P., Through Principal Secretary, Agriculture Department, Valuable Bhawan, Bhopal, Districts Bhopal (MADHYA PRADESH),

Indore 04-01-2016

Neticere Respondent No. 1 in writ Petition/Al poliumus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP: <sup>6</sup> 673 (1915

(c) Mallant,

am directed to inform you that on the Ruthi Traders Through Nuresh has filed a poorfor the 1226 of the Constitution of India is any acclosed) in this Court, and the same is registered as J. Perman (Mandamus/ Prohibition/ Certiorario Ono Warranto) No. WP/6759/2015

Take notice that you are required to submit a remai personally or through a duly engaged Advocate in before 18-63-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be beard and decided expand-

of of the Court). 2) Copy of Petition

Your's faithfully

